बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–12/2020– 1656 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.04.2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का जाँच दल/धावा दल गठित करते हुए खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1538 दिनांक–07.04.2020, 1573 दिनांक 11.04.2020 एवं 1651 दिनांक 18.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि कोरोना वायरस (Covid-19) से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण घोषित लॉक डाउन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अन्त्योदय योजना/पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) के पात्र लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभुकों/राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (चावल) भी उपलब्ध कराया जाना है। इस संदर्भ में कतिपय जिलों से पात्र लाभुकों को उनकी अनुमान्यता से कम मात्रा में खाद्यान्न मिलने, नियमित खाद्यान्न नही मिलने एवं खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है ।

अतः अनुरोध है कि जाँच दल/धावा दल गठित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत (अन्त्योदय योजना/पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) पात्र लाभुकों को नियमित खाद्यान्न उपलब्ध कराने, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने, निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभुकों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न वितरण कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक– 1529 दिनांक–03.04.2020 के द्वारा कूपन के माध्यम से Social Distancing का पालन करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही तथा अनियमितता बरतने वाले विभागीय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध संबंधित अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कठोर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रासंगिक पत्र 1573 दिनांक 11.04.2020 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में गठित जिला स्तरीय/प्रखंड स्तरीय/पंचायत स्तरीय/वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति एवं अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति द्वारा अविलंब बैठक आहूत करते हुए खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों का अनुश्रवण एवं निराकरण किया जाय तथा बैठक की कार्यवाही की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव ।

D:\YEAR = 2020\SEC = 06 (SIX)\AVINASH JEE-2020.doc

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2020– 1656 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.04.2020

प्रतिलिपि– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2020– 1656 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.04.2020

प्रतिलिपि– सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी होने के कारण उनकी यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्व खाद्यान्न वितरण से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त न हो।

सरकार के सचिव ।